

बलदेव

बनाम

अधिकारी

शां०पु०

नं.

सन् 2018

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामिल  
में जारी हुए

रिपोर्ट तारिखों होकर शायन पत्र पेश हुआ।  
वही शायन पत्र शायन पत्र दर्ज रजिस्टर  
रिपोर्ट जाकर नोटीस बनाए जायें जारी होकर  
पभावली दिनांक 22/6/18 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

बलदेव पुत्र हरना  
व बलदेव पुत्र  
रुबी अमर  
नाम है अरु बल  
पुत्र हरनाथ के  
स्थान पर बलदेव  
पु. हरनाथ डिप  
जाना उचित

19/6/18 शायन पत्र काज राजस्थ (जोड कदालत  
कैम्प अदोली में पेश हुआ) शायन पत्र का  
दोस्ताने रिपोर्ट जाया। तदुत्तर नीमकाथाना  
से रिपोर्ट ली गयी।

19.06.2018

तहसीलदार नीमकाथाना  
जिला - सीकर

मुताबिक रिपोर्ट तदुत्तर  
नीमकाथाना के शायन का शायन पत्र अन्वयति  
धारा 136 C.R.A. के तहत पाया जाता है।  
राजस्थ (जोड कदालत की शायन  
को देखते हुए शायन का शायन पत्र बाकत  
रिपोर्ट दुस्ताने लीकर रिपोर्ट जाया है।

तदुत्तर नीमकाथाना को  
कदालत रिपोर्ट जाया है कि ग्राम अदोली की खता सं 491  
जमाबंदी सं 2071 से 2074 में दर्ज बलदेव पुत्र  
हरनाथ के स्थान पर बलदेव पुत्र हरनाथ  
दर्ज कर रिपोर्ट में दुस्ताने में। पभावली दिनांक  
हुकम होकर नम्बर 6 क्रम होकर दारिद्र्य दूर है।

उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)